पत्र संख्या-कम्प्यूटर-NIC कम्प्यूटराइजेशन(S/W)-(2012-13) / 363 / 1213038 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0-अनुभाग)
दिनॉक // लखनऊ // जुलाई, 19 2012

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

आप अवगत हैं कि वर्तमान में केवल रु0 50 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए ई-रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। इन व्यापारियों द्वारा टैक्स इनवाइस से घोषित खरीद बिक्री का विवरण विभागीय सर्वर पर उपलब्ध होने के कारण इनके द्वारा क्लेम की गई आई0टी0सी0 का सत्यापन कम्प्यूटर से हो जाता है परन्तु रु0 50 लाख से कम टर्नओवर के व्यापारियों द्वारा की गयी खरीदों का सत्यापन वर्तमान में कम्प्यूटर से सम्भव नहीं है क्योंकि इन व्यापारियों द्वारा ई-रिटर्न न दाखिल करने के कारण इनकी खरीद बिक्री की सूचियॉ विभागीय सर्वर पर उपलब्ध नही रहती हैं। ऐसे व्यापारियों द्वारा की गयी खरीदों की टेस्ट चेकिंग के लिए वर्तमान में प्रतिमाह निर्धारित एक रैण्डम नम्बर से अन्त होने वाले टिन नम्बरों की समस्त खरीदों का सत्यापन मैनुअल विधि से कराने की व्यवस्था प्रचलित है परन्तु यह व्यवस्था विशेष प्रभावकारी नही रही है। अत: इसके स्थान पर कम्प्यूटर से आई0टी0सी0 के सीमित सत्यापन की एक व्यवस्था बनायी गयी है जो निम्न प्रकार है -

1-(क) इस व्यवस्था में मैनुअली रिटर्न दाखिल करने वाले समस्त व्यापारियों की रु0 10,000/- से अधिक मूल्य की खरीद एवं बिक्री की सूची इस हेतु विकसित किए गये Tool में उपलब्ध Excel sheet में बनायी जायेगी। इस सूची में केवल क्रेता/विक्रेता का टिन नम्बर, माल का मूल्य तथा अदा/वसूल कर की धनराशि का विवरण होगा तथा यह सूची प्रत्येक माह व्यापारियों द्वारा दाखिल मासिक/त्रैमासिक रिटर्नों के आधार पर बनाते हुए वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।

(ख) उक्त सूची बनाने एवं इसे अपलोड करने का दायित्व खण्ड के खातापालकों का होगा। इसके लिए खण्डाधिकारी अपने sector login से जाकर सभी खातापालकों के कम्प्यूटरों में उक्त Tool डाउनलोड कर देंगे अथवा पेन ड्राइव से सभी कम्प्यूटरों में इसे install कर देंगे।

(ग) उक्त सूचियॉ खण्ड के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर व वाणिज्य कर अधिकारी स्तर के व्यापारियों के लिए अलग-अलग बनाई जायेगी एवं सम्बन्धित कार्यालय कोड अंकित करते हुए अपलोड की जायेगी। यह सूचियॉ अपलोड करने के लिए यह आवश्यक नही होगा कि खण्ड के किसी अधिकारी के स्तर से सभी व्यापारियों की सूची तैयार हो जाने पर ही यह सूची अपलोड की जाय तथा यह सूचियॉ पार्ट नं0 अंकित करते हुए कई भागों में भी अपलोड की जा सकती है।

(घ) जिस माह में मासिक तथा त्रैमासिक रिटर्न दोनों प्राप्त होते हैं, उक्त से सम्बन्धित सूचियॉ बनाने तथा उन्हे अपलोड करने का कार्य अनुवर्ती माह की अन्तिम तिथि तक किया जायेगा। जिस माह में केवल मासिक रिटर्न प्राप्त होते हैं उनमें सूचियॉ बनाने व अपलोड करने का कार्य अनुवर्ती माह की 15 तारीख तक पूर्ण किया जायेगा जिसके पश्चात इनसे मैच-मिसमैच रिपोर्टें जनरेट की जायेगी। इस सम्बन्ध में खण्ड के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर व वाणिज्य कर अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त तिथियों तक उनके स्तर के सभी व्यापारियों की उक्त सूचियॉ अपलोड कर दी गयी हैं।

(ड) किसी भी त्रैमास के प्रथम दो माहों के रिटर्नों के आधार पर जनरेट की गयी उक्त मैच-मिसमैच रिपोर्ट अनन्तिम होगी क्योंकि यह सम्भव है कि क्रेता व्यापारी द्वारा जहॉ मासिक रिटर्न दाखिल किये गये हैं वहीं विक्रेता द्वारा त्रैमासिक रिटर्न दाखिल किए जा रहे हों। ऐसी स्थिति में क्रेता द्वारा अपने मासिक रिटर्नों में प्रदर्शित खरीद का सत्यापन तब तक नहीं हो पायेगा जब तक विक्रेता द्वारा अपना त्रैमासिक रिटर्न न

दाखिल कर दिया जाय । अत: अन्तिम मैच-मिसमैच रिपोर्ट त्रैमासिक रिटर्नों की फीडिंग के बाद जनरेट की जायेगी । ऐसे मामलों में अनन्तिम रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख रहेगा कि विक्रेता द्वारा त्रैमासिक रिटर्न दाखिल किए जाते हैं ।

2-(क) प्रस्तर-1 में उल्लिखित manual feeding में त्रुटियॉं होने की सम्भावना रहेगी । ऐसी त्रुटियों के कारण मिसमैच रिपोर्ट प्राप्त होने की सम्भावना को कम करने के लिए Tool में यह व्यवस्था रखी गयी है कि excel sheet में फीडिंग के समय ही TIN नम्बरों की डेटा बेस से चेकिंग हो जाय ताकि यदि कोई TIN नम्बर गलत फीड किया गया है तो उसको सही किया जा सके परन्तु खरीद / बिक्री की धनराशियों अथवा कर की धनराशि की फीडिंग में त्रुटि के मामलों में कर निर्धारण अधिकारी को अपने स्तर से सजग रहते हुए कार्यवाही करनी होगी ताकि इसके कारण व्यापारी का उत्पीड़न न हो ।

(ख) उक्त सन्दर्भ में क्रय मूल्य अथवा कर की धनराशि की फीडिंग में होने वाली त्रुटियों के कारण व्यापारी का उत्पीड़न न होना सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि match / mismatch रिपोर्ट के आधार पर व्यापारी को नोटिस भेजने के पूर्व mismatch दिखाये गये खरीद के ऑंकड़ों की जॉंच व्यापारी द्वारा दाखिल annexure-A से कर ली जाय एवं सही ऑंकड़ों से भी mismatch प्रमाणित होने पर ही आगे की कार्यवाही की जाय । कोई त्रुटि होने पर पूर्व में अपलोड की गयी सूची को संशोधित करके पुन: संशोधित सूची अपलोड भी की जायेगी ।

(ग) खरीद की धनराशि में कोई त्रुटि न होने के बावजूद बिक्री की संगत धनराशियों की फीडिंग में त्रुटि के कारण भी mismatch रिपोर्ट प्राप्त हो सकती है । ऐसे मामलों में व्यापारी का उत्पीड़न बचाने के लिए आवश्यक होगा कि mismatch की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सीधे व्यापारी को आई0टी0सी0 अस्वीकार करने की नोटिस न दी जाय वरन उसे खरीद की सम्बन्धित इनवाइसेज की स्व-प्रमाणित फोटो प्रति डाक या कुरियर से भेजने को कहा जाय । यदि इन इनवासेज से व्यापारी की खरीदें सत्यापित पायी जाती हैं तो उन्हे विक्रेता के कर निर्धारण अधिकारी को भेजते हुए विक्रेता के annexure-B से सत्यापित कराया जायेगा । यदि यह खरीदें विक्रेता के annexure-B से सत्यापित पायी जाती हैं तो प्रकरण में आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही होगी परन्तु यदि खरीदें विक्रेता के annexure-B से सत्यापित नहीं पायी जाती हैं, तो इसका प्रथम दृष्टया निष्कर्ष यही होगा कि विक्रेता द्वारा अपने annexure-B में बिक्री के सही विवरण नहीं भरे गये हैं और तदनुसार इस आधार पर विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी ।

3- उक्त व्यवस्था से रु0 10,000/- से अधिक मूल्य की खरीद / बिक्रियों का पूर्ण सत्यापन हो जायेगा परन्तु इस सत्यापन के पश्चात भी कर निर्धारण का दायित्व पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जायेगा एवं यदि किसी मामले में यह पाया जाता है कि व्यापारी द्वारा बड़ी संख्या में रु0 10,000/- से कम मूल्य की इनवाइसेज के माध्यम से खरीद की जा रही है तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसकी मैनुअली जॉंच करायी जायेगी ताकि ऐसे मामलों में सम्भावित करापवंचन को पकड़ा जा सके । इसी प्रकार यदि किसी मामले में व्यापारी की रु0 10,000/- से अधिक की खरीदें गम्भीर रुप से संदिग्ध पायी जाती हैं तो इसके सत्यापन के लिए पूर्वोक्त अन्तिम या अनन्तिम मैच-मिसमैच रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सीधे विक्रेता के Annexure-B से खरीदों की जॉंच करायी जायेगी एवं खरीदें असत्यापित पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

4- उक्त व्यवस्था चालू माह जुलाई-2012 से दाखिल होने वाले रिटर्नों से लागू मानी जायेगी । इसी के साथ रैण्डम नम्बर की प्रभावी व्यवस्था समाप्त की जाती है ।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।

(हिमॉंशु कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृ0प0सं0 व दिनांक :: उक्त ।

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजर कर, उ0प्र0 शासन लखनऊ ।

2- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ ।

3- एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ ।

4- समस्त अनुभाग अधिकारी ।

5- समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को अनुपालनार्थ ।

(एम0 के0 सिंह)
एडीशनल कमिश्नरग्रेड-2(आई0टी0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।